पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–7] रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 जनवरी, 2006 ई0 (पौष 17, 1927 शक सम्वत्) [संख्या–01

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	1–15	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तरांचल के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	–	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तरांचल	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तरांचल	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	1	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

अधिसूचना

10 नवम्बर, 2005 ई0

संख्या 2157/VIII/285–श्रम/2001–श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण अधिनियम, 1965 (उ0प्र0 अधिनियम संख्यांक 14, सन् 1965) (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्रमायुक्त, उत्तरांचल को अपने पद के अतिरिक्त श्रम कल्याण आयुक्त, उत्तरांचल के रूप में भी नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव।

गृह विभाग

अधिसूचना

27 दिसम्बर, 2005 ई0

संख्या 3428/XX–1/426/निर्माण/2003–भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1233/आठ–वि0भू0अ0अ0/देहरादून/2005, दिनांक 06 जुलाई, 2005 के क्रम में राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन यह घोषणा करते हैं कि उनका समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ, अर्थात् पुलिस मुख्यालय (अभिसूचना/सुरक्षा), देहरादून हेतु भवन संनिर्माण के लिए आवश्यकता है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन देहरादून के कलेक्टर को यह निर्देश देते हैं कि उक्त भूमि का अर्जन करने की कार्यवाही करें।

2–चूंकि, राज्यपाल का समाधान हो गया है कि यह मामला अत्यावश्यक है इसलिये वह उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि यद्यपि धारा 11 के अधीन कोई अभिनिर्णय नहीं दिया गया है, तथापि उक्त लोक प्रयोजनार्थ देहरादून के कलेक्टर धारा 9 की उपधारा (1) में उल्लिखित सूचना के प्रकाशन से 15 दिन के अन्दर उक्त भूमि पर कब्जा कर सकते हैं :

अनुसूची

जिला	परगना	ग्राम	खसरा (प्लाट) नं0	लगभग क्षेत्रफल एकड़/हैक्टेअर में	चौहदी
1	2	3	4	5	6
देहरादून	केन्द्रीय दून	डालनवाला	8 चन्दर रोड	1.47 एकड़ या 5953 हैक्ट0 या या 7.91 बीघा	पूरब–लक्ष्मी रोड पश्चिम–भूमि श्री सभाउल्ला उत्तर–चन्द्र रोड दक्षिण–वैल्हम स्कूल

किस प्रयोजन के लिए आवश्यकता है–जनपद देहरादून में पुलिस मुख्यालय (अभिसूचना/सुरक्षा) हेतु भवन निर्माण हेतु।

टिप्पणी–उक्त भूमि के नक्शें का कलेक्टर देहरादून के कार्यालय में हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

आज्ञा से,

एस0 के0 दास,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 3428/XX-1/426/Construction/2003,** dated 27 December, 2005 for general information :

NOTIFICATION

December 27, 2005

No. 3428/XX-1/426/Construction/2003--In continuation of Notification no. 1233/आठ– वि0मू0अ0अ0 / देहरादून / 2005, issued under sub-section (1) of section 4 of the Land Aquisition Act, 1894 (Act no. 1, 1894), the Governor is pleased to declare under section 6 of the said Act that he is satisfied that the land mentioned in the Scheduled below is needed for a public purpose, namely for construction of Police Headquarters (Intelligence/ Security) Building, District Dehradun and under section 7 of the said Act to direct the Collector of Dehradun to take action for the acquisition of the said land.

2. The Governor, being satisfied that the case is one of urgency in further pleased under sub-section of section 17 of the said Act to direct that the Collector of Dehradun though no award under section 11 has been made may on the expiration of 15 Days from the publication of Notice mentioned in sub-section (1) of the section of taking possession of the said land mentioned in the Scheduled for the said public purposes :--

SCHEDULED

District	Pargana	Village	Plot No.	Approximate area in Acres/Hectares	Remark
1	2	3	4	5	6
Dehradun	Central Dun	Dalanwala	8 Chander Road	1.47 Acres or 5953 Hectares or 7.91 Beegha	East--Laxmi Road West--Land of Sir Sabha-Ulla North--Chander Road South--Welhem School

For what purpose required-- Police Headquarter Building (Intelligence/Security) 8 Chander Road, Dehradun.

NOTE-- A plan of the site land may be inspected by the interested persons in the office of the Collector, District Dehradun.

By Order,

S. K. DAS,
Principal Secretary.

राजस्व विभाग

अधिसूचना

28 दिसम्बर, 2005 ई0

संख्या यू0ओ0 62 / 18(1) / 2005–उत्तर प्रदेश लोकघन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, सन् 1972) (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) की धारा 2 के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुये राज्यपाल "उत्तरांचल राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण", देहरादून को, जिस पर राज्य सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण है, उक्त अधिनियम के लिए निगम के रूप में विनिर्दिष्ट करते हैं।

आज्ञा से,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of the Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. U.O. 62(1)/18(1)/2005,** dated 28 December, 2005 for general information :

NOTIFICATION

December 28, 2005

No. U.O. 62(1)/18(1)/2005--In exercise of the powers under clause (a) of section 2 of the Uttar Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1972, (U.P. Act no. XXIII of 1972) (as applicable in Uttaranchal), the Governor is pleased to specify the "Rajya Matsya Palak Vikas Abhikaran" which is owned and controlled by the State Government, as Corporation, for the purpose of the said Act.

By Order,

NRIP SINGH NAPALCHYAL,
Principal Secretary.

कृषि एवं विपणन अनुभाग–1

कार्यालय आदेश

25 नवम्बर, 2005 ई०

संख्या 1508/XIII/2005–3(5)/2001–कृषि विभाग, उत्तरांचल में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1, सेक्शन "सी" (सांख्यिकी शाखा) से कृषि सेवा श्रेणी–2 (सांख्यिकी शाखा) में प्रोन्नति के लिये आरक्षित रिक्तियों में नियमित नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश, कृषि सेवा समूह "ख" सेवा नियमावली, 1995 (उत्तरांचल में अनुकूलित/उपान्तरित आदेश, 2002) के सुसंगत नियमों एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 (यथा संशोधित) के प्रासंगित प्राविधानों के अनुसार लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार के परामर्श के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1 (सांख्यिकी शाखा) के कर्मियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित चयन वर्ष की रिक्तियों में वेतनमान रु0 8,000–275–13,500 में नियमित नियुक्ति हेतु अनुमोदन करते हुए उन्हें दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखकर उनके नाम के सम्मुख अंकित पद/स्थान पर तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

क्र0सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम व वर्तमान तैनाती	एतद्द्वारा प्रस्तावित तैनाती	चयन वर्ष
1.	श्री प्रेम प्रकाश शाह, वर्ग–1, कृषि निदेशालय, उत्तरांचल	कृषि निदेशालय, देहरादून में रिक्त सहायक निदेशक, सांख्यिकी के पद पर	2003–04
2.	श्री दुर्गाराम आर्य, वर्ग–1, संयुक्त कृषि निदेशक, कुमायूं मण्डल, हल्द्वानी	संयुक्त कृषि निदेशक, कार्यालय कुमायूं मण्डल, हल्द्वानी में रिक्त सहायक निदेशक, सांख्यिकी के पद पर	2003–04

संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी तैनाती के पदों पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को तत्काल उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
सचिव।

औद्योगिक विकास अनुभाग–1

कार्यालय–ज्ञाप

21 नवम्बर, 2005 ई०

संख्या 4095/सात/05/128–उद्योग/2004–विज्ञप्ति संख्या 161/प्र0स0/औ0वि0/2002, दिनांक 09 अगस्त, 2002 के द्वारा उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 (सिडकुल) के निदेशक मण्डल का गठन किया गया है। कार्यालय–ज्ञाप संख्या 63/अ0स0/औ0वि0/2003, दिनांक 23 सितम्बर, 2003 के द्वारा निदेशक मण्डल में अन्य निदेशकों के साथ–साथ निम्नानुसार अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष नामित किये गये हैं :–

1. डा0 आर0 एस0 टोलिया, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन — अध्यक्ष।

2. श्री संजीव चोपड़ा, सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तरांचल शासन — उपाध्यक्ष।

उपर्युक्त क्रमांक–1 पर उल्लिखित डा0 आर0 एस0 टोलिया के मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 (सिडकुल) के निदेशक मण्डल में शासन द्वारा निम्नांकित को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद पर नामित किया जाता है :–

1. श्री एम0 रामचन्द्रन, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन — अध्यक्ष।

2. श्री संजीव चोपड़ा, सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तरांचल शासन — उपाध्यक्ष।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा निदेशक मण्डल के गठन सम्बन्धी आदेश संख्या 161/प्र0स0/औ0वि0/2002, दिनांक 09 अगस्त, 2002 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

संजीव चोपड़ा,
सचिव।

नियोजन अनुभाग

अधिसूचना

25 नवम्बर, 2005 ई0

संख्या 556/एक(49)/04–XXVI/2005–उत्तरांचल राज्य की भागीरथी नदी घाटी और टिहरी बांध के ऊपरी और निचली ओर तथा इसके जलागम और प्रभावी क्षेत्रों के विशेष सन्दर्भ मे नदी घाटी के स्थायी विकास और समुचित प्रबन्ध हेतु "उत्तरांचल नदी घाटी (विकास और प्रबन्ध) अधिनियम, 2005" प्रचलित है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है। अधिनियम में निहित व्यवस्थानुसार कार्यों के संचालन हेतु विभिन्न अधिकार भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण को प्रदत्त हैं। मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 20–05–2005 को "भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण" की बैठक हुई थी, जिसके आधार पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि कार्य की व्यवहारिकता, सुगमता एवं सुविधा आदि के दृष्टिगत अधिसूचना संख्या 416/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005, दिनांक 27 जनवरी, 2005 द्वारा प्राधिकरण को प्रदत्त अधिकारों में से निम्नांकित अधिकार महामहिम श्री राज्यपाल प्राधिकरण की कार्यपालिका समिति को एतद्द्वारा प्रतिनिधानित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1–धारा 4 (2)–अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति का अधिकार।

2–धारा 5 (1)–प्राधिकरण में अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार।

3–धारा 6 (1)–तकनीकी सलाहकारों/संस्थाओं को नियुक्त करने का अधिकार।

4–धारा 8 (1) (च)–जलागम क्षेत्र में आपदा प्रबन्धन कोष्ठ/आपात समूह व आपदा कोष की स्थापना और रख–रखाव करना।

(छ) नदी घाटी में समुचित स्थानों पर प्रभावी शिकायत निवारण प्रकोष्ठों की स्थापना और रख–रखाव करना।

5–धारा 9 (1)–अधिनियम और इसके अधीन बने विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप ऐसी शक्तियां जैसी आवश्यक और आनुषंगिक हों, कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन।

6–धारा 9 (2)–उपधारा (1) के प्राविधानों की व्यापकता पर किसी प्रतिकूल प्रभाव के बिना निम्नलिखित शक्तियां–

(ख)–प्राधिकरण की महायोजना में उल्लिखित किसी विकास की योजना को अनुमोदित या निरस्त करना तथा ऐसी महायोजना को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व नदी घाटी के जलागम क्षेत्र में अन्य अभिकरणों द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों का धारा 11 की उप धारा (3) से (5) के अनुसार विनियमन करना।

(ग)–किसी भी क्षेत्र के लिए निर्धारित नीतियों के अनुपालन हेतु सम्बन्धित अन्य विकास एजेंसियों को निर्देश देना।

(घ)–नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने हेतु केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी संगठन या किसी अन्य एजेंसी से सहायता लेना।

7–धारा 9 (2)–प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना महायोजना में उल्लिखित कोई भी प्राथमिक या अन्य कार्य या किसी विकास योजना को आरम्भ नहीं किया जायेगा।

8–धारा 9 (3)–महायोजना में कोई भी परिवर्तन, प्राधिकरण की अनुमति से ही किया जायेगा।

9–धारा 9 (4)–प्राधिकरण को उसके कार्यों और नीतियों को लागू करने में राज्य की परिषदों सहित सभी सम्बन्धित विभाग, अपने प्रमुखों के माध्यम से, उसके साथ समन्वय करेंगे और प्राधिकरण या कार्यपालिका समिति द्वारा अपनी शर्तों और इच्छित तथा भुगतान के आधार पर सरकार के किसी विभाग की सेवाओं की मांग करना वैध होगा।

10–धारा 10 (1)–प्राधिकरण पूर्व में किये गये भौगोलिक क्षेत्र विकास योजना निर्धारण करने के पश्चात् यथाशीघ्र नदी घाटी के समग्र स्थायी विकास हेतु एक महायोजना की तैयारी करेगा या करवायेगा।

11–धारा 11 (3)–प्राधिकरण की स्थापना के पश्चात् उस क्षेत्र में जिसके लिए ऐसे प्राधिकरण का गठन हुआ हो, किसी भी व्यक्ति या संस्था जिसमें राज्य के विभाग या प्राधिकारी भी सम्मिलित होंगे तथा लोक या निजी क्षेत्र के उपक्रम के द्वारा भूमि के विकास सम्बन्धी कार्यों को ना तो किया जायेगा और ना ही करवाया जायेगा या जारी रखा जायेगा, जब तक कि ऐसे विकास हेतु प्राधिकरण से लिखित रूप में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अनुमति ना प्राप्त कर ली गयी हो।

12–धारा 13 (1)–प्राधिकरण की निधि, प्राधिकरण या कार्यपालिका समिति के निर्णयानुसार किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या अन्य लब्ध बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित हों, में खाता खोल कर जमा की जायेगी और उसका संचालन, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और वित्त अधिकारी या इस हेतु प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

13–धारा 13 (2)–प्राधिकरण, यथावश्यक स्थलों पर यथावश्यक संख्या में प्राधिकरण के खाते खोल सकता है।

14–धारा 13 (3)–प्राधिकरण यथा निर्धारित रूप में और यथा समय आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आय तथा व्यय दर्शाते हुए बजट तैयार करेगा और प्रतिवर्ष 15 फरवरी से पूर्व इसकी एक प्रति, प्राधिकरण की वार्षिक सामान्य बैठक में प्रस्तुत करने के लिए, राज्य सरकार के पास अनुमोदन हेतु अग्रेषित करेगा।

15–धारा 14 (2)–प्राधिकरण के वार्षिक लेखा की लेखापरीक्षा, अनुभवी चार्टर्टेड एकाउंटेंट या प्राधिकरण द्वारा नियुक्त समान पदधारक व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

16–धारा 15–प्राधिकरण, वर्ष के दौरान सम्पन्न, अपनी गतिविधियों का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा और उस प्रतिवेदन तैयार करेगा और उस प्रतिवेदन को राज्य सरकार को तथा उसकी एक प्रति राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में और तिथि से पूर्व केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करेगा।

17–धारा 16–प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत, प्राधिकरण का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सभी युक्तियुक्त समयों पर किसी भूमि या परिसर में प्रवेश कर सकता है और इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण की शक्तियों के प्रयोग या कार्य–निष्पादन हेतु कोई भी विधिसम्मत कार्य या सर्वेक्षण, खोज और सर्वेक्षण, प्रारम्भिक या अनुषांगिक रूप से कर सकता है।

18–धारा 20–प्राधिकरण के प्रधान कार्यालय और शाखा कार्यालयों की स्थापना।

19–धारा 25–प्राधिकरण द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से लिखित शिकायत के बिना कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

20–धारा 28 (1)–इस अधिनियम के अधीन कोई दण्डनीय अपराध, कार्यवाहियों के संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात्, प्राधिकरण या इसके द्वारा इस हेतु सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या निर्धारित शर्तों पर या शमन–फीस के भुगतान की शर्त पर शमनीय हो सकेगा।

21–धारा 31 (1)–किसी अन्य विधिक के होते हुए और सांसद द्वारा खनिज विकास सम्बन्धी विधि द्वारा किसी प्रतिबन्ध के होते हुए भी प्राधिकरण, नदी घाटी में खनिज अधिकारों हेतु उपकर लगा सकेगा।

आज्ञा से,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1

संकल्प

उत्तरांचल वृक्षारोपण नीति, 2005

12 दिसम्बर, 2005 ई0

संख्या 706/X–2–005–9(21)/2005–

1. प्रस्तावना

1.1 प्रदेश में वृक्षरोपण कार्य का एक पुराना इतिहास है। स्वतंत्रता से पूर्व प्रदेश के वनों की सघनता के कारण वृक्षरोपण केवल सीमित क्षेत्रों में ही अधिकांश तौर पर बीजरोपण तथा कुछ क्षेत्रों में पौधारोपण के माध्यम से ही किये जाते रहे। स्वतंत्रता के पश्चात् विशेष रूप से तीसरी पंचवर्षीय योजना से वृक्षारोपण की आवश्यकता महसूस करते हुए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण योजनायें बनाई गई;

1.2 उत्तरांचल वन विभाग जो उत्तरांचल राज्य के गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश का ही अंग था, उतना ही पुराना है जितना भारतवर्ष में वनों का वैज्ञानिक प्रबन्धन। उत्तरांचल के गठन के समय वन विभाग, उत्तरांचल द्वारा कार्य की सुगमता को दृष्टिगत रखते हुए लगभग वे ही नीतियां स्वीकार की गईं जो उत्तर प्रदेश में प्रचलित थीं। अब उत्तरांचल को बने हुए लगभग साढ़े चार वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है, भारत सरकार द्वारा 1988 में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई जो उत्तरांचल सहित सभी राज्यों में लागू है। राज्य में मैदानी से लेकर हिमाच्छादित चोटियों वाले क्षेत्रों के कारण वानस्पतिक विविधता है, यहां के वन उत्तरांचल राज्य के साथ–साथ पूरे देश के पारिस्थिकी एवं पर्यावरण को संतुलित करते हैं। इस आलोक में उत्तरांचल की वर्ष 2001 में राज्य वन नीति प्रतिपादित की गई, वन विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों में वृक्षारोपण की विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उदाहरण के लिए ग्राम्य विकास, कृषि, उद्यान, भूमि संरक्षण, नगर विकास, जलागम विभाग व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण करते हैं, इसके अतिरिक्त विभिन्न गैर सरकारी संगठन (NGOs) भी भारत सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत वृक्षारोपण करते हैं। उक्त सभी विभागों द्वारा कराए जा रहे वृक्षारोपण योजनाओं में समरूपता के दृष्टिकोण से एक समय वृक्षारोपण नीति लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

2. वृक्षारोपण नीति की दृष्टि (Vision)

आधुनिक वृक्षारोपण तकनीकी द्वारा प्रदेश के वन क्षेत्र में तथा विद्यमान वनों के घनत्व/वानस्पतिक विधि में वृद्धि कर प्रदेश की जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की सतत् पूर्ति करते हुए प्रदेश, देश व विश्व को पर्यावरणीय सुविधायें उपलब्ध करना।

3. मूल उद्देश्य

3.1 प्रदेश के अन्तर्गत विद्यमान वन भूमि एवं गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण हेतु विभिन्न विभागों/संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही समस्त योजनाओं को समन्वित कर समरूपता लाना;

3.2 समस्त प्रकार की अवनत व रिक्त वन भूमि में वनस्पति में वृद्धि कर वनों के घनत्व/कुल वानस्पतिक निधि में वृद्धि करना;

3.3 ग्रामीणों की ईंधन की लकड़ी, चारा, लघु वन उपज एवं इमारती लकड़ी की स्थानीय घरेलू मांग की पूर्ति हेतु उचित प्रजातियों का चयन कर रोपण करना;

3.4 प्राकृतिक वनों में वृक्षों तथा अन्य वनस्पतियों के प्राकृतिक पुनरोत्पादन को प्रोत्साहित कर इन्हें विकसित करने हेतु विशेष उपाय करना;

3.5 वृक्षारोपण कार्य को गरीब–निर्बल वर्ग के लोगों के लिए रोजगार–परक बनाते हुए उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उपाय करना;

3.6 उपरोक्त सिद्धान्तों की प्रतिपूर्ति के लिये वन अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन पर विशेष ध्यान देते हुए इनका वास्तविक परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप क्रियान्वयन करना;

4. पृष्ठभूमि

4.1 उत्तरांचल भारत उपमहाद्वीप की अनेक महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है, इन नदियों ने हमारी सभ्यता को एक विशिष्ट पहचान दी है। वृक्षारोपण का एक प्रमुख उद्देश्य स्वच्छ वातावरण बनाये रखते हुए इसके माध्यम से इन महत्वपूर्ण नदियों के जल समेट क्षेत्र की हाइड्रोलौजी (Hydrology) संतुलित रखना है, जिससे

बहुमूल्य मिट्टी की उपरी उपजाऊ सतह का क्षरण रोका जा सके तथा जल की पर्याप्त मात्रा एवं गुणवत्ता में उपलब्धता बनी रहे;

4.1.1 आधुनिक तकनीकी से वृक्षारोपण द्वारा वनों में सम्वर्धन कार्य से अपने भू–भाग का एक बड़ा हिस्सा हरित आवरण के रूप में बनाये रखने से जहां उत्तरांचल जैसे राज्य के सीमित आर्थिक संसाधनों का एक बड़ा अंश व्यय होता है, वहीं इन वनों के दोहन पर विभिन्न प्रतिबन्धों के कारण इनका सीधा लाभा स्थानीय समुदायों को नहीं मिल पाता है;

4.1.2 ऐसी वनावली के पर्यावरणीय लाभ पूरे क्षेत्र व राष्ट्र को प्राप्त होते हैं, जबकि इसे बनाये रखने में यहां के स्थानीय समुदायों को आर्थिक विकास के अनुपलब्ध अवसरों के सापेक्ष अप्रत्यक्ष मूल्य चुकाना पड़ता है;

4.1.3 यह उचित होगा कि उत्तरांचल राज्य के वनों द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय सेवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान कर केन्द्र से राज्यों को दिये जाने वाले विभिन्न कोषों के अंश निर्धारण में इसका भी पूर्ण संज्ञान लिया जाय;

4.1.4 क्योटो संधि (प्रोटोकोल) द्वारा परिकल्पित क्लीन डेवलपमेन्ट मैकेनिज्म (C.D.M.) व्यवस्था के अंतर्गत कार्बन क्रेडिट्स (Carbon Credits) प्राप्त करने हेतु परियोजनायें तैयार की जायें।

4.1.5 वन आवरण में वृद्धि मुख्यतः दो प्रकार से की जा सकती है :

(1) वन क्षेत्र में वृद्धि;

(2) विद्यमान वनों के घनत्व/समय वन निधि (ग्रोइंग स्टॉक) में वृद्धि।

उत्तरांचल पूर्व से ही वन बाहुल्य क्षेत्र है, प्रारम्भ में वन प्रबन्ध की नीतियों के अन्तर्गत आवरण वृद्धि का आधार मुख्यतः प्राकृतिक पुनरोत्पादन रहा है, परन्तु तीसरी पंचवर्षीय योजना के पश्चात् बड़े पैमाने पर कृत्रिम रोपण की योजनायें कार्यान्तिव हुई हैं। विभिन्न कार्य योजनाओं के अन्तर्गत इन दोनों विधियों से पुनर्जनन कार्य का प्राविधान किया गया एवं तद्नुसार कार्य सम्पादित किये गये। वर्ष 1980 से 90 के दशक में कृत्रिम वृक्षारोपण वृहद रूप से सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में लागू हुई, इसके अन्तर्गत सभी प्रकार के वृक्षारोपण स्थापित किये गये। पर्वतीय भू–भाग में इसके अतिरिक्त नदी घाटी जलागम क्षेत्रों के उपचार संबंधी परियोजनाओं में भी प्रचुर मात्रा में वृक्षारोपण कार्य किया गया है।

4.2 उत्तरांचल के गठन से पूर्व विश्व बैंक पोषित वानिकी परियोजना के मूल्यांकन के दौरान यह अनुभव किया गया कि वृक्षारोपणों को और अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु इनमें गुणात्मक सुधार के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है, इस परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि नीति में वृक्षारोपण हेतु तकनीकी पहलुओं के साथ अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का भी समावेश किया जाय ताकि वृक्षारोपण की सफलता तथा उत्पादन दोनों में ही वृद्धि हो सके;

4.3 प्रारम्भिक दशकों में वृक्षारोपण कार्य बहुत अल्प पैमाने पर किये जाते थे। ये वृक्षारोपण अधिकांशतः अच्छी तथा सुरक्षित भूमि पर गहन देखभाल के अन्तर्गत होता था, जिसमें इनकी गुणात्मक सफलता सुनिश्चित रहती थी। वर्तमान में अब केवल अवनत एवं अनुपयुक्त क्षेत्र ही रोपण के लिए उपलब्ध होते हैं जिनकी स्थलीय गुणवत्ता (Site Quality) अच्छी नहीं है। जैविक दबाव अत्यधिक है तथा अधिकतर क्षेत्र में नमी बहुत कम है, ऐसी स्थिति में पुरानी बीजारोपण अथवा पौधारोपण की तकनीक के सापेक्ष अब नयी पद्धति अपनाने पर विचार की आवश्यकता है, यद्यपि पुनरोत्पादन हेतु कई स्थानों पर प्राकृतिक रूप से रूट स्टॉक उपलब्ध होता है, परन्तु अधिक जैविक दबाव के कारण पुनर्जनन नहीं हो पाता है, ऐसे क्षेत्रों में प्रभावी एवं दीर्घकालिक सुरक्षा की आवश्यकता है;

4.4 राज्य के अन्तर्गत वर्तमान में प्राकृतिक एवं कृत्रिम पुनरोत्पादन हेतु आरक्षित वन, सिविल, सोयम वन, पंचायती वन, सामुहिक एवं निजी बंजर भूमि, सड़क, नहर तथा रेलवे की पट्टियां आदि प्रकार की भूमि उपलब्ध होती है। आरक्षित वनों के अवनत/खाली क्षेत्रों में विभिन्न कार्य योजनाओं के अन्तर्गत पुनरोत्पादन, हेतु क्षेत्र इंगित रहते हैं तथा योजनाबद्ध तरीके से इनका उपचार किया जाता है, परन्तु सिविल सोयम वन तथा अन्य प्रकार की भूमि पर वृक्षारोपण हेतु इनका सघन एवं दूरगामी प्रबन्ध आवश्यक है;

4.5 अधिकतर वन/वृक्षारोपण क्षेत्र अत्यन्त आबादी से घिरे हुए हैं जिनमें ईंधन, चारा एवं चराई का अत्याधिक दबाव होता है, जनसंख्या वृद्धि के साथ–साथ पशुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है जिसमें चराई का दबाव बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में कोई भी पुनरोत्पादन कार्य की सफलता बिना आसपास के निवासियों के सहायोग लिये संभव नहीं है, अतः यह कार्य जन आंदोलन के रूप में जन सहयोग/सहभागिता के माध्यम से ही सम्पादित किया जा सकता है।

4.6 उत्तरांचल की विशिष्ट भौगोलिक एवं टोपोग्राफिकल विविधता के कारण वनस्पतिक संरचना में भी प्रचुर विविधता है। मैदानी भू–भाग में साल, शीशम से लेकर पर्वतीय क्षेत्र में चीड, बांज आदि के साथ उच्च स्थलीय पर्णपाती प्रजातियां विद्यमान हैं। साथ ही बहु–उपयोगी प्रजातियां विभिन्न वितानों (Storeys) में पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं। इनमें कई प्रजातियों का उपयोग स्थानीय लोगों के साथ–साथ उद्योगों द्वारा भी किया जाता है, अतः वृक्षारोपण की नीति में इस बहु–आयामी उपयोग को भी दृष्टगत रखा जाना आवश्यक है;

4.7 प्रदेश वन्य जन्तु बाहुल्य क्षेत्र है एवं इनके संरक्षण में अग्रणी है, इस जैव विविधता को बनाये रखने में वनों का संरक्षण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। साथ ही वन्य पशुओं की उपयोगिता को भी दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त आवरण, संरक्षण/विकास पर ध्यान देना अत्यावश्यक है;

4.8 पुनरोत्पादन/कृत्रिम वृक्षारोपण कार्यों को समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने हेतु राज्य/केन्द्र सरकार की विभिन्न वित्त पोषित योजनायें हैं, इन योजनाओं में यद्यपि उद्देश्यों की विविधता होती है, परन्तु वृक्षारोपण क्षेत्रों की समग्र रूप से सफलता को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। इनके प्राविधानों में एक समन्वयन आवश्यक है, इसके लिए विभिन्न प्रजातियों के रोपण के तकनीकी मापदण्ड, विविध कार्यों की दरें, संरक्षण/सुरक्षा अवधि तथा तकनीकी एकरूपता की आवश्यकता है। इन सब आयामों में नवीनतम तकनीकी, यथा पौध तैयार करने की रूट ट्रेनर विधि, क्लोनल तकनीक आदि को व्यापक पैमाने पर अपनाना आवश्यक है;

4.9 राज्य का तराई, भावर क्षेत्र उत्पादन वानिकी हेतु अग्रणी रहा है। यहां से ही वन्य उत्पादन, विभिन्न काष्ठ–आधारित उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है। इस कार्य में तराई क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर अनुपयोगी घासों पर नियंत्रण की विधियों में आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बदलाव लाना भी श्रेयस्कर होगा। उत्पादन वानिकी में प्रजाति चयन, प्रबन्ध नीति परिवर्तन तथा उपयोग की दृष्टि से अधिक उत्पादन को लक्षित करना अपरिहार्य होगा;

4.10 हिमालय क्षेत्र भू–गर्भीय व ढाल की दृष्टि से संवेदनशील होने के कारण यहां पर भूमि व जल संरक्षण की दृष्टि से भी रोपण आवश्यक होगा, ऐसे कार्य छोटे–छोटे जल स्रोतों के वानस्पतिक व अभियांत्रिक, संयुक्त उपचार से ही सफल हो सकेंगे, इनमें वृक्ष के विभिन्न वितानों (Storeys) के साथ–साथ झाड़ियों व घासों का व्यापक उपयोग अपरिहार्य होगा;

4.11 जैविक विविधता के फलस्वरूप राज्य के वनों तथा इससे बाहर औषधि एवं सगन्ध पादप प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परन्तु इनके रोपण के माध्यम से विकास की भी अहम भूमिका है, इन प्रजातियों को समग्र रूप से वृक्ष आदि प्रजातियों के साथ–साथ उगाने/विकास का प्रयास करना होगा;

4.12 कुटीर उद्योग तथा विभिन्न प्राकृतिक उत्पादों में प्रतिस्थापन हेतु कई प्रजातियों यथा बांस, रेशा, जैट्रौफा, औषधीय व सगन्ध पौधों एवं घासों का विशेष महत्व है। प्रदेश में यथा उपयोगी क्षेत्रों में इनका रोपण किया जायेगा;

4.13 प्रदेश में वनों से जुड़ी हुई कई परम्परागत एवं बाद में विकसित संस्थाओं का इतिहास है, जो वन संरक्षण व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेषतः वन पंचायतें सभी कार्यों में विशेष योगदान कर सकती हैं, इन्हें वृक्षारोपण कार्यों से सक्रिय रूप से जोड़ना लाभकारी होगा;

5. लक्ष्य

5.1 भारतीय वन सर्वेक्षण की वर्ष 2003 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के सकल भू–भाग के 64.81 प्रतिशत भू–भाग में अभिलिखित वन क्षेत्र हैं एवं 45.74 प्रतिशत भू–भाग वनाच्छादित है, यह राष्ट्र के वनावरण का 3.61 प्रतिशत है। विभिन्न वन आवरण की कैटेगरी के अनुसार 4002 वर्ग किमी0 में अत्यन्त सघन वन (70% से अधिक वितान) 14420 वर्ग किमी0 में सामान्य सघन वन (40 से 70% से अधिक वितान) है। इस प्रकार कुल 18422 वर्ग कि0मी0 सघन वन है जो वन आवरण का 75.3 % है, 6043 वर्ग किमी0 में खुले वन (10% से कम वितान) स्थित है, जो कुल वन आवरण का 24.7% है, इस प्रकार राज्य में वृक्ष आवरण (Tree cover) राष्ट्रीय वृक्ष आवरण का 1.07 प्रतिशत है;

5.1.1 उत्तरांचल में 64.81 प्रतिशत अभिलिखित वन क्षेत्र के सापेक्ष वनाच्छादित क्षेत्र मात्र 45.74 प्रतिशत है। राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अन्तर्गत Hill Areas के लिए 66% वनाच्छादन का लक्ष्य है;

5.1.2 इसी प्रकार प्रदेश के 14422 वर्ग किमी0 सामान्य सघन वन को अत्यन्त सघन वन तथा 60.43 वर्ग किमी0 खुले वन को सामान्य अथवा अत्यन्त सघन वन में परिवर्तित किया जा सकता है;

5.2 उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए आगामी 10 वर्षों में सघन वनों के वर्तमान 18422 वर्ग किमी0 क्षेत्रफल में बढ़ोतरी कर 20000 वर्ग किमी0 की जा सकती है, उसी प्रकार रिक्त/अवनत रूप में उपलब्ध वन भूमि, गैर वन भूमि, निजी भूमि इत्यादि में अगले 20 वर्षों में लगभग 5000 वर्ग कि0मी0 में वृक्षारोपण किया जा सकता है। इस हेतु सभी वित्तीय स्रोतों से पर्याप्त संसाधनों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा;

6. रणनीति

6.1 वन विभाग की भूमिका

वन विभाग, उत्तरांचल वन नीति, 2001 तथा वृक्षारोपण नीति, 2005 के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर नियोजन, समन्वयन तथा अनुश्रवण एजेन्सी होगी, राज्य के जलागम विभाग, पंचायतीराज विभाग, ऊर्जा विभाग तथा अन्य सम्बन्धित विभागों की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके साथ वन विभाग के विभिन्न कार्यों का समन्वय सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त सभी विभाग इस सम्बन्ध में वन विभाग से सहयोग एवं समन्वय सुनिश्चित करेंगे;

6.2 वन आवरण में वृद्धि

प्राकृतिक पुनरोत्पादन/वनीकरण के माध्यम से, भूदृष्य को ध्यान में रखते हुए, हरित आवरण में वृद्धि हेतु विस्तृत कार्य योजना बनाई जायेगी तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार जन सहयोग तथा विभिन्न विभागों के सम्मिलित प्रयासों से इसे क्रियान्वित किया जायेगा;

6.3 वृक्षारोपण के मूल उद्देश्यों एवं विद्यमान वनस्पति को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के पूरे भू–भाग को निम्न प्रकार तीन क्षेत्रों (Region) में बांटा जा सकता है;

मैदानी/तराई भाबर क्षेत्र (Plains/Terai Bhabar Region) : इसमें मुख्यतः साल, शीशम, आदि के प्राकृतिक वन तथा यूकेलिप्टस, पौपलर, सागौन आदि के वृक्षारोपण हैं, इन क्षेत्रों को प्राथमिकता पर उत्पादन वानिकी हेतु प्रबन्धित किया जायेगा;

मध्य हिमालय क्षेत्र (Middle Himalayan Region) : यह क्षेत्र सामान्यतया चीड़, बांज आदि प्रजातियुक्त हैं, इन क्षेत्रों में विविध प्रयोजनों (Multi-Purpose Plantation) हेतु कार्य प्रबन्धित किया जायेगा;

उच्च स्थलीय/उप–हिमाद्रि क्षेत्र (High altitude/Subalpine Region) : इस क्षेत्र में जुनीपर्स, भोजपत्र आदि प्रजाति हैं, जिन्हें वन आवरण में वृद्धि हेतु लिया जायेगा;

6.4 रोपण हेतु प्रजातियों का वर्गीकरण

अलग–अलग क्षेत्रों (Region) में पर्यावरणीय महत्व तथा स्थानीय उपयोगिता एवं विपणन व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए स्थल की उपयुक्तातानुसार विविध मिश्रित प्रजातियों का रोपण निम्न प्रकार किया जायेगा :

प्रजातियों का मिश्रण :

1. उच्च वितान (वृक्ष प्रजाति)	20 प्रतिशत
2. मध्य एवं निम्न वितान (आयपरक प्रजातियां ईंधन, चारा, औषधीय, सगन्ध फल, खाद्य–संपूरक (Foord Supplement), बांस, वैकल्पिक ईंधन आदि)	80 प्रतिशत

निर्देशों का अनुपालन : प्रदेश में संचालित समस्त योजनाओं के अन्तर्गत वृक्षारोपणों में उपरोक्तानुसार वितान को ध्यान में रखते हुए प्रजातियों का चयन किया जायेगा;

6.5 कृषि वानिकी : प्रदेश में पारिस्थितिक (इको सिस्टम) उपयुक्तता के आधार पर व्यापक एवं सघन वृक्षारोपण किया जायेगा, पर्वतीय क्षेत्र में गैर प्रकाष्ठीय वन उपज, जड़ी–बूटी तथा मैदानी क्षेत्र में औद्योगिक प्रजाति एवं सगन्ध पोधों को निजी भूमि में कृषिकरण हेतु बल दिया जायेगा;

6.6 जनसहभागिता : वृक्षारोपण के कार्य में निजी एवं राजकीय क्षेत्र के उपक्रमों, स्वयंसेवी संस्थाओं, वन पंचायतों, ग्राम पंचायतों एवं समस्त सरकारी विभागों की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी;

6.7 वन वाटिका/हरित पट्टी विकास : ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, पौराणिक स्थलों पर वन वाटिकाओं की स्थापना की जायेगी, इसके अतिरिक्त सड़कों के किनारे वृक्षारोपण एवं मार्गों में छायादार एवं शोभाकार प्रजातियों के वृक्षारोपण द्वारा इन मार्गों पर हरित पट्टी विकसित कर हरित आवरण में वृद्धि की जायेगी;

6.8 शहरी क्षेत्रों में नगरीय वन/राष्ट्रीय/राज्य मार्ग एवं नहरों के किनारे रोपण :

6.8.1 नगरीय वन (City Forest) : नगर निकायों के सहयोग से शहरों के मध्य/निकट स्थित वन भूमि पर वन पंचायत का गठन कर, वन संरक्षण तथा संवर्द्धन का कार्य किया जायेगा, जिसका प्रयोग नागरिक भ्रमण क्षेत्र के रूप में कर सकें;

6.8.2 हरित पट्टी (Green Belt) : औद्योगिक एवं नगरीय अवस्थापना के नियमों के अन्तर्गत हरित क्षेत्र तथा निकाय भूमि पर हरित क्षेत्र के विकास के लिए उपक्रमों तथा मोहल्ला समितियों का सहयोग लिया जायेगा;

6.8.3 सड़कों के किनारे वृक्षारोपण : मैदानी क्षेत्र में पीपल, बरगद आदि तथा पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों से ऊपर की ओर बांस आदि भू–क्षरण रोकने वाली प्रजातियां एवं नीचे की ओर उच्च वितान के वृक्ष रोपित किये जायेंगे;

6.9 नदियों/नालों के किनारे रोपवन : ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में उपयुक्त भू–क्षरण रोकने वाली प्रजातियों के पौधों के रोपण पर बल दिया जायेगा;

6.10 आरक्षित वनों में वृक्षारोपण : प्रस्तर 6.3 तथा 6.14 की नीति का पालन किया जायेगा;

6.11 आरक्षित वनों से बाहर वृक्षारोपण : प्रस्तर 6.3 की नीति का पालन किया जायेगा;

6.12 खाल, चाल तथा तालों का विकास : प्रत्येक वृक्षारोपण के क्षेत्र में आने वाले खाल, चाल तथा तालों के जल समेट क्षेत्र (Catchment Areas) का संरक्षण एवं विकास करना आवश्यक होगा तथा इनके आकार के अनुरूप उपलब्ध धनराशि का भाग इस कार्य के लिए आवंटित किया जायेगा;

6.13 क्षेत्र विशिष्ट योजना (Site Specific Plan) :

सभी वृक्षारोपण योजनाओं में प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट योजना (S.S.P.) का निर्माण आवश्यक होगा जो स्थान विशेष की आवश्यकताओं को देखते हुए निर्मित की जायेगी, इस योजना में क्षेत्र विशेष की मूल जानकारी (Basic data) के अतिरिक्त उसकी समस्यायें, समाधान तथा पर्यावरण विश्लेषण पर टिप्पणी होगी, इसका अनुमोदन सक्षम स्तर से कराया जायेगा;

6.14 वृक्षारोपण क्षेत्रों की सुरक्षा :

6.14.1 आरक्षित वन क्षेत्रों के बाहर : वृक्षारोपण क्षेत्रों की सुरक्षा यथासंभव वन पंचायतों के माध्यम से सम्पन्न करायी जायेगी, इनमें सक्रिय समितियां नामित कर उनसे लम्बी अवधि की सुरक्षा का आपसी–करार (M.O.U.) कराया जा सकता है;

6.14.2 आरक्षित वन क्षेत्रों के अन्तर्गत वृक्षारोपण क्षेत्रों की सुरक्षा पांच वर्ष के लिए की जायेगी, लेकिन संवेदनशील/मृदा रहित (Refractory) एवं गांवों के किनारे स्थित क्षेत्रों में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षकों के अनुमोदन के पश्चात् सक्रिय समितियां नामित कर उनसे लम्बी अवधि की सुरक्षा का आपसी करार (M.O.U.) कराया जा सकता है;

6.14.3 सुरक्षा हेतु यथासंभव स्थानीय ग्रामीणों का सहयोग, जैविक सुरक्षा बाढ़ आदि विधियों को उपयोग में लाया जायेगा, अपरिहार्य स्थिति में ही दीवालबंदी/तारबंदी की जायेगी;

6.15 पौधशालाओं में आधुनिक पद्धति से पौध तैयार की जायेगी तथा समस्त वृक्षारोपण आधुनिक पौधालय तकनीक से उगाये गये उच्च गुणवत्ता युक्त पौधों से किये जायेंगे, पूर्व में क्षेत्र के विद्यमान रूट–स्टॉक का अधिक उपयोग किया जायेगा, महत्वपूर्ण प्रजातियों के बीज आदि की आपूर्ति सिल्वा/अनुसंधान द्वारा की जायेगी, केवल प्रमाणिक बीज ही उपयोग में लाया जायेगा;

6.16 वन पंचायत पौधशालाओं का विकास : वन पंचायतों के अन्तर्गत ग्रामीणों के सहयोग से पौधशालायें निर्मित की जायेंगी, जिनमें तकनीकी सहयोग वन विभाग द्वारा किया जायेगा;

6.17 जल–संचय साधन : प्रत्येक क्षेत्र में समुचित नमी कायम रखने हेतु वर्षा जल–संचय साधनों (Rain water harvesting) को बढ़ावा दिया जायेगा, इस हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार के संस्थानों द्वारा प्रतिपादित नवीनतम/प्रमाणित विधियों को उपयोग में लाया जायेगा;

6.18 वनीकरण हेतु उपलब्ध क्षेत्रों का सूचीकरण : राष्ट्रीय स्तर पर ऑल इण्डिया सोयल एण्ड लैण्ड यूज सर्व (A.I.S.L.U.S.) द्वारा भूमि का इसकी उपयोगिता के अनुसार सर्वेक्षण जलागमवार किया गया है। वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध क्षेत्रों का सूचीकरण करते समय इस सर्वेक्षण का लाभ लिया जा सकता है। समस्त क्षेत्रों की श्रेणीवार

सूची बनाकर प्रजातियों के चयन तथा क्षेत्रों की उपलब्धता की जानकारी ली जायेगी और साथ ही अधिक संवेदनशील क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर वृक्षारोपण हेतु चिन्हित किया जायेगा, प्रत्येक वन प्रभाग में लैंड बैंक (Land Bank) का गठन करते हुए वृक्षारोपण के लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं में उपलब्ध धनराशि का समन्वय किया जायेगा, यह क्षेत्र प्रत्येक वर्ष घोषित किया जायेगा;

6.19 वन पंचायतों में वृक्षारोपण : प्रस्तर 6, 3 के प्राविधानों के अन्तर्गत वृक्षारोपण किया जायेगा;

6.20 पारस्परिक एवं बरगद आदि प्रजाति के वृक्षों का रोपण : पारम्परिक प्रजातियों जैसे बरगद, पीपल आदि के वृक्षों के रोपण को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक पौधशाला में कुल उगाये गये पौधों का न्यूनतम पांच प्रतिशत ऐसे पौधों के लिए निर्धारित किया जायेगा;

6.21 नैसर्गिक रूप से खाली स्न्थानों में वृक्षारोपण :

नैसर्गिक रूप से खाली स्थानों जैसे बुग्याल, दलदली क्षेत्र, घास के मैदान, रोखड़ इत्यादि में वृक्षारोपण नहीं किया जायेगा;

6.22 वन्य जीव प्रबन्धन के दृष्टिकोण से वृक्षारोपण : वन्य जीव संरक्षण की दीर्घकालीन रणनीति (Strategy) के अनुसार वन्य जीव वासस्थल (Habitat) को विकसित करने के दृष्टिकोण से संवेदनशील वन क्षेत्र के समीपवर्ती वनों में वृक्षारोपण तद्नुसार ही किया जायेगा, इसी प्रकार विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए कोरिडोर (Corridors) के निर्माणार्थ वृक्षारोपण किया जायेगा;

6.23 वनों की उत्पाकता बढ़ाना :

6.23.1 प्रदेश के वनों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु नई प्रजातियों को लगाने (Introduce करने) हेतु अनुसंधान कृत द्वारा गहन अध्ययन किया जायेगा, अध्ययनोपरांत ही नई प्रजातियां लगाई जाएंगी;

6.23.2 विभिन्न वनोपज आधारित उद्योगों को प्रकाष्ठ की आपूर्ति हेतु युकेलिप्टस तथा पौपलर के वृक्षारोपण की उत्पादकता में वृद्धि के विशेष प्रयास किये जायेंगे, इस हेतु अच्छी गुणवत्ता के पौध तैयार करने के लिए अच्छी गुणवत्ता के प्रमाणित बीज तथा क्लोनल/टिश्यूकल्चर पौधों को अपनाया जायेगा;

6.23.3 रोपावनियों की वर्तमान सुरक्षा विधियों में सुधार एवं परिवर्तन लाने हेतु विभिन्न अन्य मॉडल्स का परीक्षण कर नवीनतम एवं प्रभावी विधियों को अपनाया जायेगा;

6.23.4 युकेलिप्टस रोपण क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से रोटेशन को कम करने तथा सम्पूर्ण रोटेशन अवधि तक सघन सुरक्षा की व्यवस्था करने संबंधी पहलू पर भी विचार किया जायेगा;

6.24 प्राकृतिक वनों में अधोरोपण : प्राकृतिक वनों में मुख्य प्रजाति के अलावा सह प्रजातियों एवं क्षेत्र में नैसर्गिक रूप से पाये जाने वाले पेड़ पौधों, झाड़ियों का अधोरोपण किया जायेगा;

6.25 वृक्षारोपण संहिता : उपरोक्त निर्देशों को फील्ड स्तर पर तकनीकी मार्गदर्शन हेतु विभाग द्वारा वृक्षारोपण संहिता बनाकर प्रसारित की जायेगी;

6.26 शोध, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :

6.26.1 वन विभाग द्वारा जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, वाडिया इन्सटीट्यूट आदि केन्द्रीय अनुसंधान संस्थानों के साथ निश्चित अन्तरालों पर समन्वय हेतु बैठकें आहूत की जायेंगी ताकि इन शोध संस्थानों में जो नवीनतम शोध हो रहे हों उनसे वन विभाग परिचित रहे और ऐसे शोधों का यथोचित उपयोग कर सकें;

6.26.2 वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी क्षेत्रीय का सघन दौरा कर वृक्षारोपण कार्य का निरीक्षण व अनुश्रवण करेंगे ताकि अधीनस्थ क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों से समन्वय सुनिश्चित हो तथा क्षेत्रीय अधिकारी/कर्मचारी विभाग के लिए अधिक से अधिक सिद्ध हो सके व उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो;

6.26.3 वृक्षारोपणों की सफलता सुनिश्चित करने एवं नियमित गुणात्मक सुधार हेतु विभागीय एवं केन्द्र सरकार के संस्थानों द्वारा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य कराया जायेगा, प्रथम 03 वर्ष तक वन विभाग/वन पंचायत यह कार्य करेंगे, प्रत्येक 03 वर्ष के बाद केन्द्र सरकार के संस्थानों द्वारा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य किया जायेगा;

6.26.4 अग्रिम बिक्री एवं सुरक्षा : कामर्शियल प्लान्टेशन स्थलों (Commercial Plantation Sites) की विदोहन वर्ष तक प्रभावी सुरक्षा हेतु यथासम्भव उपभोक्ता इकाइयों को अग्रिम बिक्री (Advance Sale) की व्यवस्था लागू की जायेगी, इनकी लगातार प्रभावी सुरक्षा के लिए अन्य मॉडल भी विकसित कर आवश्यकतानुसार लागू किए जायेंगे।

7. राज्य वृक्षारोपण नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा :

राज्य स्तर पर वृक्षारोपण नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा प्रत्येक वर्ष मा0 वन एवं पर्यावरण मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा की जायेगी।

8. राष्ट्रीय वन नीति, 1988 एवं उत्तरांचल वन नीति, 2001 से सम्बन्ध : राज्य वृक्षारोपण नीति, राष्ट्रीय वन नीति, 1988 एवं उत्तरांचल वन नीति, 2001 के प्राविधानों के अधीन रहेगी।

डॉ0 रणवीर सिंह,
सचिव।

न्याय अनुभाग

अधिसूचना

प्रकीर्ण

16 दिसम्बर, 2005 ई0

संख्या 25–सात–बी/छत्तीस (1)/न्याय अनुभाग/2005–साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 (अधिनियम संख्या 12, सन् 1887) की धारा 14 और प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 (अधिनियम संख्या 9, सन् 1887) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल, मा0 उत्तरांचल उच्च न्यायालय की संस्तुति पर शासन की अधिसूचना संख्या 18–सात–बी/छत्तीस (1)/न्याय अनुभाग/2005, दिनांक 05 जुलाई, 2005 को निरस्त करते हुए रोशनाबाद, हरिद्वार में प्रत्यावर्तित किए गए अपर जिला जज/प्रथम द्रुतगामी न्यायालय, सिविल जज (सीनियर डिवीजन), अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन), सहायक सत्र न्यायाधीश/सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/द्वितीय द्रुतगामी न्यायालय, सहायक सत्र न्यायाधीश/सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/तृतीय द्रुतगामी न्यायालय, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), प्रथम अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) एवं द्वितीय अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के न्यायालयों को दिनांक 19 दिसम्बर, 2005 से पुनः रुड़की स्थानान्तरित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अधिसूचना

प्रकीर्ण

16 दिसम्बर, 2005 ई0

संख्या 26–सात–बी/छत्तीस (1)/न्याय अनुभाग/2005–साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल, मा0 उत्तरांचल उच्च न्यायालय की संस्तुति पर शासन की अधिसूचना संख्या संख्या 19–सात–बी/छत्तीस (1)/न्याय अनुभाग/2005, दिनांक, 5 जुलाई, 2005 को निरस्त करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट और विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों को सिविल न्यायालय परिसर रोशनाबाद, हरिद्वार से दिनांक 19 दिसम्बर, 2005 से पुनः रुड़की में स्थापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अधिसूचना

प्रकीर्ण

16 दिसम्बर, 2005 ई0

संख्या 27–सात–बी/छत्तीस (1)/न्याय अनुभाग/2005–पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 66, सन् 1984) की धारा 3 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 38–एक (1)/न्याय विभाग/2004, दिनांक 15–04–2004 द्वारा रुड़की (हरिद्वार) में सृजित पारिवारिक न्यायालय को मा0 उत्तरांचल उच्च न्यायालय की संस्तुति पर शासन की अधिसूचना संख्या संख्या 14–एक(11)/छत्तीस (1)/न्याय अनुभाग/2005, दिनांक 5 जुलाई, 2005 को निरस्त करते हुए दिनांक 19 दिसम्बर, 2005 से सिविल न्यायालय परिसर रोशनाबाद, हरिद्वार से पुनः रुड़की में स्थानान्तरित करने की महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

यू0 सी0 ध्यानी,
सचिव।

गृह विभाग

अधिसूचना

(शक्ति)

21 दिसम्बर, 2005 ई0

संख्या 3361/XX(1)–109/परी0/2004–राज्यपाल महोदय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1974) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, उत्तरांचल राज्य सम्मिलित सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2004 की दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 में आयोजित परीक्षा के सभी परीक्षा केन्द्रों के केन्द्र व्यवस्थापकों को, एतद्द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, नियुक्त करते हैं, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे और उन्हें ऐसी सभी शक्तियां प्रदान करते हैं, जो उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदान की जा सकती हैं, जिनका वे उन परीक्षा केन्द्रों की सीमा के अन्तर्गत क्षेत्रों में उपयोग कर सकेंगे, जिनके वे केन्द्र व्यवस्थापक हैं।

आज्ञा से,

मंजुल कुमार जोशी,
अपर सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 3361/Home-1--109/Exam/2004,** dated 21 December, 2005 for general information :

NOTIFICATION

(Power)

December 21, 2005

No. 3361/Home-1--109/Exam/2004--In exercise of the powers conferred under section 21 of the Code of Procedure 1973 (Act no. 2 of 1974), The Governor is hereby pleased to appoint the Superintendents of all the Examination Centres of Uttaranchal Public Service Commission for the Civil Services (Preliminary) Examination, 2004 being conducted on 22-12-2005, as Executive Magistrates, who shall be called Special Executive Magistrates, and confer all such powers on them as may be conferred on Executive Magistrates under the said Code, for that period, which they may use within the area of Examination Centres of which they are Superintendents.

By Order,

MANJUL KUMAR JOSHI,
Addl. Secretary.

चिकित्सा अनुभाग–2

अधिसूचना

28 दिसम्बर, 2005 ई0

संख्या 1786/XXVIII–2–2005–323/2005–एतद्द्वारा डा0 (कु0) संगीता कठैत, चिकित्साधिकारी, राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, कोटद्वार, पौड़ी का दिनांक 09–02–2002 को विवाह के फलस्वरूप उनका नाम डा0 (श्रीमति) संगीता नेगी परिवर्तन करने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

एस0 राजू,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 हिन्दी गजट/09–भाग 1–2006 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 जनवरी, 2006 ई0 (पौष 17, 1927 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मैं, राम अवतार सैनी पुत्र श्री अतर सिंह सैनी के हाई स्कूल परीक्षा, 2001, अनुक्रमांक 0443736 के अंक–पत्र व प्रमाण–पत्र में नाम राम अवतार सैनी सही दर्ज है लेकिन उत्तरांचल बोर्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा, 2004 के अनुक्रमांक 0004422 के अंक–पत्र व प्रमाण–पत्र में राम अवतार सैनी के स्थान पर त्रुटिवश राम अवतार सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत हैं। मेरा सही नाम राम अवतार सैनी ही है तथा भविष्य में इसी नाम से जाना जाए।

राम अवतार सैनी, 30–12–05
राम अवतार सैनी
पुत्र श्री अतर सिंह सैनी
196, आदर्श नगर, निकट हनुमान मन्दिर,
रुड़की।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 हिन्दी गजट / 09–भाग 8–2006 (कम्प्यूटर / रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रुड़की।